संख्या 242/XXVIII(3)2004-39/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 17 मार्च, 2005

विषय- वित्तीय वर्ष 2004-05 में अनुदान संख्या 12 आयोजनेत्तर पक्ष में एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय के अन्तर्गत चेतनादि मदों में पुनर्विनियोजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 5प/8/44/2004-05/2205, दिनांक 31 जनवरी/4/2 2005 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्तीय वर्ष 2004-05 में संलग्न पुर्नविनियोग प्रपत्र वी0एम0 15 के अनुसार एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रूपये 2,89,84,000.00 (दो करोड़ उनसठ लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को संलग्न प्रपत्रानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को अधमुक्त कर दिया जाय ताकि वर्णित धनराशि का व्यय समय से हो सके।

3- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 12, के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- आयोजनेत्तर, 00-, 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 110- अस्पताल तथा औषधालय, 09- ऐलोपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय के अन्तर्गत कालम (5) में वर्णित मानक मदों के नाते डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र वी0एम0 15 के अनुसार अनुदान संख्या 12 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- आयोजनेत्तर, 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110- अस्पताल तथा औषधालय, 09- ऐलोपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय, के अन्तर्गत कालम (1) की बचत से वहन किया जायगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या 1627/वित्त अनुभाग-2/2005 दिनांक 17.03.05 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव,

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3- जिला कोषाधिकारी, देहरादून।
4- वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
5- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/ एन.आई.सी./5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

शासनादेश संख्या 242/xxviii(3) 2004-39/2004 टी०सी० दिनांक का संलग्नक।

प्रपत्र बी०एम० - 15

प्रस्तर - 158 अनुदान संख्या - 12

(वित्तीय वर्ष 2004-05)

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून

पुर्नविनियोजन का आवेदन पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर 03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें/पाश्चात्य चि०पद्धति 110- अस्पताल तथा औषधालय 09- ऐलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय				2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनेत्तर 03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें/पाश्चात्य चि०पद्धति 110- अस्पताल तथा औषधालय 09- ऐलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय			क. स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्स[illegible] की तैनाती न हो पाने के का[illegible] बचत हुई है। ख. वेतन भत्तों में बजट की कमी [illegible] कारण पुर्नविनियोजन [illegible] आवश्यकता हुई है।
06 अन्य भत्ते 46875	17913	18962	10000	01- वेतन 10000	260360		
48- महा० वेतन 125180	16483	92733	15964	03- मह० भत्ता 15964	68540		
योग 172055	34396	111695	25964	25964	328900	146091	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद - 151,156 में उल्लिखत प्रतिबन्धें एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

NIL
1381

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या 182(A) वित्त अनु0 2/ 2005
देहरादून : दिनांक 17.3. 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

एल0एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

संख्या 242/xxviii(3)-2004-39/2004 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव